



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

31 मार्च 2014 तक के
चवालीसवें मूल्यन की रिपोर्ट

31 मार्च 2014 तक के निगम के जीवन बीमा व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिवेदन एवं साथ ही निगम की देयताओं का मूल्यन

1. मैने जीवन बीमा अधिनियम 1956 की धारा 26 के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के 31 मार्च 2014 तक के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जाँच तथा उसकी देयताओं का मूल्यन पूरा कर लिया है और मुझे निम्न रिपोर्ट देनी है।
2. यह मूल्यन समस्त व्यवसाय (फिजी को छोड़कर) 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक की अवधि के लिये किया गया है। फिजी के व्यवसाय के संदर्भ में यह अवधि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक है।
3. चूंकि यू. के., फिजी व मारिशस में किए व्यवसाय के लिए स्थानीय देयताओं से मेल खाती हुई राशि उन देशों में प्रस्थापित कर दी गई है, इन देशों में किए गए व्यवसाय का मूल्यन किया गया है। वहाँ की धनराशि पर आधारित अनुभवों के आधार पर अलग से किया गया है। यू. के. और मारिशस में 31 मार्च 2014 तक के व्यवसाय का मूल्यन स्थानीय विधान की आवश्यकताओं के अनुरूप फिजी के व्यवसाय का मूल्यन 31 दिसम्बर 2013 तक किया गया है और वर्तमान प्रतिवेदन में फिजी व्यवसाय के परिणामों का मूल्यन उसी तिथि पर किया गया है।
4. बीमा, जीवन वार्षिकी संविदाओं और संबद्ध व्यवसाय के अंतर्गत मूल्यन की तारीख पर चालू व्यवसाय निम्नलिखित था:

चालू व्यवसाय	यू. के.	फिजी	मारिशस	भारत
बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या (असंबद्ध)	4,130	51,835	42,676	27,99,89,367
बीमा धन और उनके अंतर्गत बोनस (₹) (असंबद्ध)	988,21,72,432	3079,54,57,996	1229,65,42,218	4441701,44,57,808
जीवन वार्षिकी पॉलिसियों की कुल संख्या (असंबद्ध)	1	-	170	23,85,157
जीवन वार्षिकी प्रतिवर्ष की राशि (₹) (असंबद्ध)	2,981	-	1,64,07,603	20150,10,43,246
संबद्ध व्यवसाय की कुल पॉलिसियाँ	400	-	-	1,39,13,532
बीमा धन (₹) (संबद्ध)	81,81,18,029	-	-	78729,34,44,041

* समूह व्यवसाय के लिए योजनाओं की संख्या को कुल पॉलिसियों की संख्या में सम्मिलित किया गया है।

5. **आय और व्यय:** निम्नलिखित सारणी अंतर-मूल्यन अवधि के लिए निगम की आय और व्यय का विवरण प्रदर्शित करती है।

	यू. के.	फिजी	मारिशस	भारत
आय	₹	₹	₹	₹
प्रथम वर्षीय प्रीमियम	3,26,24,782	19,20,91,496	3,18,86,262	31871,67,85,439
परवर्ती प्रीमियम	35,49,69,323	99,90,25,975	55,32,21,404	145805,71,68,466
एकल प्रीमियम और स्वीकृत वार्षिकियों के लिए प्रतिफल	2,89,30,248	128,01,10,262	7,65,65,642	58765,73,56,430
ब्याज, लाभांश और किराये	21,43,03,847	87,43,07,028	49,97,73,114	117921,39,56,430
अन्य प्राप्तियाँ	18,52,48,503	99,15,21,088	52,21,656	25029,08,68,851
कूल आय	81,60,76,703	433,70,55,849	116,66,68,078	379393,61,35,616
व्यय:				
मृत्युदावे	1,42,55,848	5,17,75,495	3,24,53,196	10128,42,44,915
पूर्णावधि दावे	31,56,86,125	85,59,78,021	71,41,44,026	85130,69,49,844
वार्षिकियाँ	2,978	-	42,54,172	4432,82,78,353
अभ्यर्पण	6,93,55,913	18,56,53,348	1,63,37,092	59601,09,00,501
नकद बोनस अथवा प्रीमियम में कमी				20,90,615
प्रबंध व्यय	12,02,22,889	27,64,98,256	10,75,70,292	36908,74,42,988
कर	2,20,77,072	2,29,54,257	6,27,49,502	6008,32,77,668
पिछले मूल्यन के लिए सरकार का अधिशेष में भाग	24,54,355	1,15,55,912	84,84,237	1434,13,23,547
विविध	-5,05,29,009	85,96,272	-53,20,409	1983,78,99,824
कूल व्यय	49,35,26,171	141,30,11,561	94,06,72,108	205628,24,08,256
निधि में वृद्धि	32,25,50,532	292,40,44,288	22,59,95,970	173765,37,27,360

6. मृत्यु दर, ब्याज एवं व्यय संबंधी अनुभव :

(अ) भारत में व्यवसाय

i) मृत्यु दर:

अंतर-मूल्यन अवधि के दौरान वास्तविक मृत्यु भार प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी का 61.2 प्रतिशत लाभसहित और 49.6 प्रतिशत लाभरहित पॉलिसियों के लिए था। पूर्ववर्ती साल के लिए यह प्रतिशत लाभसहित पॉलिसियों के लिए 64.0 तथा लाभरहित पॉलिसियों के लिए 33.8 था।

ii) ब्याज:

पिछले 4 वर्षों में अर्जित सकल ब्याज की दरें निम्न थीं:

वर्ष	कुल निधी पर (%)
2013-2014	9.43
2012-2013	9.35
2011-2012	8.98
2010-2011	9.10

ii) व्यय:

पिछले 4 वर्षों के लिए समस्त व्यय अनुपात और परवर्ती व्यय अनुपात निम्न प्रकार थे:

वर्ष	समस्त व्यय अनुपात (%)	परवर्ती व्यय अनुपात (%)
2013-2014	15.61	2.75
2012-2013	15.09	0.67
2011-2012	14.27	-8.38
2010-2011	14.89	-5.12

* परवर्ती व्यय अनुपात में दिये गये अंक सांविधिक फॉर्म्युला पर आधारित हैं।

(ब) यू. के. व्यवसाय

i) मृत्यु दर:

पिछले वर्षों के डाटा का मृत्यु दर जाँच दर्शाता है कि मृत्यु दर प्रावधान वैधानिक मूल्यांकन के प्रावधान का पर्याप्त सीमांत रखता है।

ii) ब्याज:

पिछले 4 वर्षों के लिए सकल व शुद्ध ब्याज दरें निम्न प्रकार थीं:

वर्ष	सकल ब्याज (%)	शुद्ध ब्याज (%)
2013-2014	2.85	1.56
2012-2013	2.33	1.86
2011-2012	2.90	1.38
2010-2011	3.50	2.06

iii) व्यय:

पिछले 4 वर्षों के लिए समस्त व्यय अनुपात और परवर्ती व्यय अनुपात निम्न प्रकार थे:

वर्ष	समस्त व्यय अनुपात (%)	परवर्ती व्यय अनुपात (%)
2013-2014	28.86	25.04
2012-2013	35.05	28.65
2011-2012	30.66	19.65
2010-2011	33.35	22.86

(स) फिजी व्यवसाय

i) मृत्यु दर:

अंतर-मूल्यन अवधि के दौरान वास्तविक मृत्युभार पिछले मूल्यन हेतु प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी का 52 प्रतिशत था। पूर्ववर्ती साल का तदनुरूपी प्रतिशत 74 था।

ii) ब्याज:

पिछले 4 वर्षों के लिह सकल व शुद्ध ब्याज दरें निम्न प्रकार थी:

वर्ष	सकल ब्याज (%)	शुद्ध ब्याज (%)
2013	7.70	7.50
2012	8.97	8.47
2011	8.34	7.79
2010	8.38	7.62

iii) व्यय:

पिछले 4 वर्षों के लिए समस्त व्यय अनुपात और परवर्ती व्यय अनुपात निम्न प्रकार थे:

वर्ष	समस्त व्यय अनुपात (%)	परवर्ती व्यय अनुपात (%)
2013	11.19	12.62
2012	12.13	11.93
2011	15.79	13.27
2010	17.19	12.12

(द) मारिशस व्यवसाय

i) मृत्यु दर:

अंतर-मूल्यन अवधि के दौरान वास्तविक मृत्युभार पिछले मूल्यन हेतु प्रयुक्त मृत्यु दर सारणी का 49 प्रतिशत था। पूर्ववर्ती साल का तदनुरूपी प्रतिशत 128 था।

ii) ब्याज:

पिछले 4 वर्षों के लिह सकल व शुद्ध ब्याज दरें निम्न प्रकार थी:

वर्ष	सकल ब्याज (%)	शुद्ध ब्याज (%)
2013-2014	8.75	7.72
2012-2013	8.72	7.55
2011-2012	9.26	8.17
2010-2011	10.20	9.03

iii) व्यय:

पिछले 4 वर्षों के लिए समस्त व्यय अनुपात और परवर्ती व्यय अनुपात निम्न प्रकार थे:

वर्ष	समस्त व्यय अनुपात (%)	परवर्ती व्यय अनुपात (%)
2013-2014	18.15	11.40
2012-2013	16.31	10.49
2011-2012	16.72	10.59
2010-2011	17.78	10.58

7. मूल्यन का आधार :

मूल्यन मे प्रयुक्त आधार इस प्रकार है :

अ) भारत मे व्यवसाय

i) मृत्यु तथा अस्वस्थता दर

व्यक्तिगत असंबद्ध व्यवसाय :

- क) बीमा - सहभागी पॉलिसियाँ : भारतीय बीमा जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 135%
ख) बीमा - असहभागी पॉलिसियाँ : भारतीय बीमा जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 135%
ग) सामान्य वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 96, 97, 115, 116, 146, 148)
आस्थगन अवधि के दौरान : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 110%
वार्षिकियाँ भुगतान में : जी.बी.नि.ए. (1996-98) चरम मृत्यु दर को 2 वर्ष की कटौती के साथ
घ) सामान्य वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 44, 45, 64, 67, 114, 117, 144, 145, 163, 170, 172, 176, 181, 183, 189 तथा 191)
आस्थगन अवधि के दौरान : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 110%
निहित होने के बाद : जी.बी.नि.ए. (1996-98) चरम मृत्यु दर को 2 वर्ष की कटौती के साथ
ङ) पेंशन - सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 122, 147, 169, 812, 818) :
आस्थगन अवधि के दौरान : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 110%
निहित होने के बाद : भा.जी.नि.ए. (1996-98) चरम मृत्यु दर को 2 वर्ष की कटौती के साथ
च) हेल्थ पॉलिसियाँ :
मृत्यु दर : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 110%
अस्वस्थता दर : एचसीबी - स्विस्-री अस्वस्थता दर का 135%
एमसीबी - स्विस्-री अस्वस्थता दर का 135%

व्यक्तिगत संबद्ध व्यवसाय :

- क) बीमा तथा पेंशन पॉलिसियाँ : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 135%
ख) हेल्थ पॉलिसियाँ :
मृत्यु दर : भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) चरम का 110%
अस्वस्थता दर : एचसीबी - म्युनिक-री अस्वस्थता दर का 135%
एमसीबी - म्युनिक-री अस्वस्थता दर का 135%

समूह व्यवसाय :

समूह निवर्तन आस्थगित वार्षिकियाँ, समूह ग्रैच्युटी प्लस, समूह ग्रैच्युटी शुद्ध बंदोबस्ती, समूह मोर्टगेज रिडेम्सन बीमा, एकल प्रीमियम समूह बीमा, न्यु समूह ग्रैच्युटी कैश ऐक्च्युमुलेशन, न्यु समूह लीव इनकैशमेंट योजना तथा न्यु समूह निवर्तन कैश ऐक्च्युमुलेशन योजना के लिए भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) का 135% का प्रयोग किया गया है। तात्कालिक वार्षिकियाँ बिना निधि वापस के लिए तथा वीआरएस के लिए मृत्यु दर का धारण जी.बी.नि.ए. (96-98) को 3 वर्ष कटौती के साथ प्रयोग किया गया है। समूह फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट प्लान का मूल्यन भा.जी.नि.ए. (96-98) के प्रयोग से किया गया है।

ii) ब्याज दर :

- क) बीमा - सहभागी पॉलिसियाँ
प्लान 151, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 166, 167, 171 तथा 186 के लिए 6.90% प्रति वर्ष
प्लान 814, 815, 816, 817, 820 तथा 821 के लिए 7.70% प्रति वर्ष
प्लान 195, 808, 809 तथा 813 के लिए 8.50% प्रति वर्ष
अन्य प्लान के लिए 7.70% प्रति वर्ष
ख) बीमा - असहभागी पॉलिसियाँ
सभी प्लानों के लिए 7.00% प्रति वर्ष

- ग) सामान्य वार्षिकियाँ - सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 96, 97, 115, 116, 146 तथा 148) :
आस्थगन अवधि के दौरान : प्लान 148 के लिए 6.90% प्रति वर्ष तथा अन्य प्लानों के लिए 8.6 % प्रति वर्ष
वार्षिकियाँ भुगतान में : प्लान 146 तथा 148 के लिए 6.90% प्रति वर्ष तथा अन्य प्लानों के लिए 8.6% प्रति वर्ष
- घ) सामान्य वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 44, 45, 64, 67, 114, 117, 144, 145, 163, 170, 172, 176, 181, 183, 189 तथा 191)
सभी प्लानों के लिए 7.10% प्रति वर्ष
- ङ) पेंशन - सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 122, 147, 169, 812 तथा 818) :
आस्थगन अवधि के दौरान : 7.75% प्रति वर्ष
वार्षिकियाँ भुगतान में : 7.75% प्रति वर्ष
- च) हेल्थ पॉलिसियाँ : 6.50% प्रति वर्ष

व्यक्तिगत संबद्ध व्यवसाय :

- क) बीमा तथा पेंशन पॉलिसियाँ : सभी प्लानों के लिए 7% प्रति वर्ष
ख) हेल्थ पॉलिसियाँ : 7% प्रति वर्ष

समूह व्यवसाय

1. समूह निवर्तन आस्थगित वार्षिकियाँ	7.90% प्र.व.
2. समूह ग्रैच्युटी प्लस	5.50% प्र.व.
3. समूह ग्रैच्युटी शुद्ध बंदोबस्ती	7.90% प्र.व.
4. समूह मोर्टगेज रिडेम्सन बीमा	7.70% प्र.व.
5. एकल प्रीमियम समूह बीमा	7.70% प्र.व.
6. समूह प्लेक्सिक्स इनकम बेनिफिट प्लान	7.70% प्र.व.
7. न्यू समूह ग्रैच्युटी कैश एक्ज्यूमुलेशन	7.50% प्र.व.
8. न्यू समूह लीव इनकैशमेंट योजना	7.50% प्र.व.
9. न्यू समूह निवर्तन कैश एक्ज्यूमुलेशन योजना	7.50% प्र.व.
10. तात्कालिक वार्षिकियाँ निधि वापसी के साथ	7.90% प्र.व.
11. तात्कालिक वार्षिकियाँ बिना निधि वापसी के	7.90% प्र.व.
12. वीआरएस	7.90% प्र.व.

iii) व्यय का प्रावधान

व्यक्तिगत असंबद्ध व्यवसाय :

क) बीमा - सहभागी पॉलिसियाँ :

प्रीमियम संबंधित

नव व्यवसाय - प्लान 814, 815, 816, 817, 820 तथा 821 के लिए 52%
सूक्ष्म प्लानों 182 तथा 810 के लिए 17%
अन्य के लिए 55%

नवीनीकरण -

प्लान 807, 814, 815, 816, 817, 820 तथा 821 के लिए 7.5%
सूक्ष्म प्लानों 182 तथा 810 के लिए 10%
अन्य के लिए 8%

पॉलिसी संबंधित :

सूक्ष्म बीमा प्लानों (182, 810) के लिए - ₹ 420 /- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 210 /- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त पॉलिसी के लिए

अन्य प्लानों के लिए ₹ 490 /- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 245 /- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त पॉलिसी के लिए
पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए मुद्रास्फीति दर : 3.00% प्रति वर्ष

ख) बीमा - असहभागी पॉलिसियाँ :

नव व्यवसाय :

प्लान 822 तथा 823 के लिए 53%
सूक्ष्म बीमा प्लान 819 के लिए 14%
सूक्ष्म बीमा प्लान 198 के लिए 15%
बीमा अकाउंट प्लानों (805, 806) के लिए 29.5%
अन्य के लिए 55%

नवीनीकरण :

प्लान 822 तथा 823 के लिए 7.50%
सूक्ष्म बीमा प्लान 819 के लिए 11%
सूक्ष्म बीमा प्लान 198 के लिए 12.40%
अवधि बीमा प्लानों 43, 52, 153, 164, 177 तथा 190 के लिए 18.50%
बीमा अकाउंट प्लानों (805, 806) के लिए 8.00%
अन्य के लिए 8.00%

पॉलिसी संबंधित :

सूक्ष्म बीमा प्लानों (198, 819) के लिए -
₹ 150 /- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 75 /- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त पॉलिसी के लिए
अन्य प्लानों बीमा अकाउंट - I और बीमा अकाउंट II सहित के लिए
₹ 490 /- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 245 /- प्रति पॉलिसी प्रदत्त तथा पूर्ण प्रदत्त पॉलिसी के लिए
पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए मुद्रा स्फीति दर : 3% प्रतिवर्ष

ग) सामान्य वार्षिकियाँ : सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 96, 97, 115, 116, 146, 148) :

वार्षिकियाँ भुगतान में : ₹ 120/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 120/- दावा भुगतान के लिए
आस्थगन अवधि के दौरान :
प्रीमियम संबंधित - प्रीमियम का 4%
पॉलिसी संबंधित - ₹ 490/- प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 245/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त एवं एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए
पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए मुद्रास्फीति दर 3% प्रति वर्ष

घ) सामान्य वार्षिकियाँ - असहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 44, 45, 64, 67, 114, 117, 144, 145, 163, 170, 172, 176, 181, 183, 189 तथा 191)

वार्षिकियाँ भुगतान में : ₹ 120/- प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष तथा ₹ 120/- दावा भुगतान के लिए
आस्थगन अवधि के दौरान :
प्रीमियम संबंधित - प्रीमियम का 4%
प्रीमियम संबंधित - ₹ 490 प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए
₹ 245/- प्रति पॉलिसी प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त एवं एकल प्रीमियम के लिए
पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए मुद्रास्फीति दर : 3% प्रति वर्ष

ङ) पेन्शन - सहभागी पॉलिसियाँ (प्लान 122, 147, 169, 812, 818)

वार्षिकियाँ भुगतान में : ₹ 120 प्रति पॉलिसी प्रतिवर्ष तथा ₹120 दावा भुगतान के लिए
आस्थगन अवधि के दौरान : नव व्यवसाय

प्रीमियम का 15%

नवीनीकरण

प्लान 812 तथा 818 के लिए

प्रीमियम का 2.5%

अन्य प्लानों के लिए (बंदोबस्ती विकल्प को छोड़कर जिसके लिए यह 5% है)

प्रीमियम का 3.90%

पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए मुद्रास्फीति दर : 3% प्रतिवर्ष

च) हेल्थ पॉलिसियाँ :

प्रीमियम संबंधित

नवीनीकरण प्रीमियम संबंधित : प्लान 903 के लिए प्रीमियम का 19.50% तथा

प्लान 904 के लिए प्रीमियम का 7%

नव व्यवसाय संबंधित : प्लान 903 के लिए प्रीमियम का 80% तथा

प्लान 904 के लिए प्रीमियम का 50%

पॉलिसी संबंधित :

नवीनीकरण : ₹ 660 प्रतिवर्ष मुख्य बीमित के लिए तथा

₹ 330 प्रतिवर्ष अन्य बीमितों के लिए

मुद्रास्फीति दर : 3% प्रतिवर्ष

व्यक्तिगत संबद्ध व्यवसाय

क) बीमा तथा पेंशन पॉलिसियाँ

प्रीमियम संबंधित

1.5% प्लान 140 (बीमा प्लस) के लिए 3% प्लान 172 (फ्यूचर प्लस), प्लान 180 (मनी प्लस), 187 (फॉर्च्यून प्लस), 191 (मार्केट प्लस - 1), 801 (वेलथ प्लस), 802 (ऐडोमेंट प्लस), 803 (पेंशन प्लस), 811 (पलैक्सी प्लस), तथा प्लान 804 (समृद्धी प्लस) के लिए तथा 4% प्लान 173 (जीवन प्लस), 188 (प्रॉफिट प्लस), 193 (मनी प्लस), 194 (चाइल्ड फॉर्च्यून प्लस), तथा 197 (जीवन साथी प्लस) के लिए।

नव व्यवसाय प्रीमियम संबंधित

8% प्लान 802 के लिए तथा 15% प्लान 811 के लिए।

पॉलिसी संबंधित (प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष)

₹ 650 चालू पॉलिसियों के लिए

₹ 325 प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त एवं एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए

नव व्यवसाय संबंधित (प्रति पॉलिसी प्रतिवर्ष)

₹ 1925 प्लान 802 के लिए तथा ₹ 2050 प्लान 811 के लिए

मुद्रास्फीति (पॉलिसी संबंधित व्यय के लिए) दर : 3% प्रतिवर्ष

ख) हेल्थ व्यवसाय

प्रीमियम संबंधित

नव व्यवसाय प्रीमियम संबंधित : प्रीमियम का 35%

नवीनीकरण प्रीमियम संबंधित : प्रीमियम का 6.25%

पॉलिसी संबंधित :

₹ 720 प्रति पॉलिसी प्रीमियम भुगतान के लिए (दावे संबंधित व्यय के साथ)

₹ 360 प्रति पॉलिसी प्रदत्त, पूर्ण प्रदत्त एवं एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए (दावे संबंधित व्यय के साथ)

मुद्रास्फीति दर : 3% प्रतिवर्ष

समूह व्यवसाय

क) समूह असंबद्ध व्यवसाय

1) भुगतान हो रहे समूह वार्षिकियों के लिए :

i) दावा व्यय :

समूह फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट प्लान, वीआरएस तथा तात्कालिक वार्षिकिया निधी वापसी के साथ केअंतर्गत ₹ 120/- प्रति सदस्य 3% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

ii) प्रशासनिक व्यय :

समूह फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट प्लान, वीआरएस तथा तात्कालिक वार्षिकियाँ निधी वापसी के बिना एवं साथ के अंतर्गत ₹ 120/- प्रति सदस्य 3% प्रति वर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

2) समूह बंधक विमोचन और एकल प्रीमियम समूह बीमा

i) दावा व्यय : ₹ 90/- प्रति सदस्य 3% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

ii) प्रशासनिक व्यय : ₹ 120/- प्रति सदस्य 3% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

3) समूह निवर्तन आस्थगित वार्षिकियाँ तथा समूह ग्रैच्युटी शुद्ध बंदोबस्ती

प्रशासनिक व्यय : ₹ 180 प्रति सदस्य 3% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

4) न्यू फण्डेड स्कीम :

प्रशासनिक व्यय : न्यू ग्रुप ग्रैच्युटी कैश एक्यूमलेशन और न्यू ग्रुप लीव इनकैशमैन्ट योजनाओं के लिए ₹ 12000 प्रति पाँलिसी तथा न्यू समूह निवर्तन कैश एक्यूमलेशन योजना के लिए ₹ 15000 प्रति पाँलिसी

ख) समूह संबद्ध व्यवसाय

प्रशासनिक व्यय : ₹ 180 प्रति सदस्य 3% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति दर के साथ

(ब) यू. के. व्यवसाय :

i) मृत्यु दर :

100% AM 92 / AF 92 मृत्यु दर सारणी का प्रयोग बीमों के मूल्यन के लिए किया गया है। नई जीवन सुरक्षा संविदाएँ के अंतर्गत UK TM 92 / TF 92 का 120% - 180% मृत्यु दर सारणी का प्रयोग किया गया है।

ii) ब्याज की दर :

बीमे लाभसहित पॉलिसियों के लिए	1.40%
लाभरहित पॉलिसियों के लिए	1.75%

iii) व्यय के लिये प्रावधान :

अ) लाभसहित पॉलिसियों के लिए :

शुद्ध प्रीमियम तथा सकल प्रीमियम के बीच का मार्जिन, शुद्ध प्रीमियम सकल प्रीमियम का 85% प्रतिशत तक प्रतिबंधित। पूर्ण प्रदत्त और एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए व्यय £ 59.16 प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष लिया गया है।

ब) लाभरहित पॉलिसियों के लिये (नयी सुरक्षा अनुबंध को छोड़कर) :

सकल प्रीमियम का 6 प्रतिशत तथा £ 59.16 प्रति पॉलिसी प्रति वर्ष 3.80 प्रतिशत मुद्रास्फीति का प्रबन्ध करते हुए। मुल्यांकन ब्याज दर व्यय के लिये निधि (फंड) आकार का 0.9 प्रतिशत प्रावधान करता है।

स) नयी सुरक्षा अनुबंध :

सकल प्रीमियम का 6 प्रतिशत तथा £ 59.16 प्रति पॉलिसी प्रतिवर्ष 3.80 प्रतिशत मुद्रास्फीति का प्रबन्ध करते हुए।

द) संबद्ध पॉलिसियों के लिए :

वार्षिक देखभाल व्यय 3.80 प्रतिशत मुद्रास्फीति का प्रबंध करते हुए £ 59.16 प्रतिवर्ष लिया गया है।

(स) फिजी व्यवसाय :

i) मृत्यु दर :

व्यक्तिगत व्यवसाय :

भारतीय बीमित जीवन मृत्यु (2006-08 का 135%) चरम मृत्यु दर सारणी का, प्रयोग बीमों के मूल्यन के लिए किया गया है।

समूह व्यवसाय :

200 प्रतिशत भारतीय बीमित जीवन मृत्यु (2006-08) चरम मृत्यु दर सारणी का प्रयोग समूह बीमा व्यवसाय के मूल्यन के लिए किया गया है।

ii) ब्याज की दर :

व्यक्तिगत तथा समूह बीमा व्यवसाय.....	5.00%
--------------------------------------	-------

iii) व्यय के लिए प्रावधान :

व्यक्तिगत व्यवसाय :

क) सभी पॉलिसियों में कार्यालय प्रीमियम का 6.5%

ख) प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के लिए 5% सालाना दर का प्रबंध करके बीमा राशि का 6.00 प्रति हजार।

ग) 5.00 प्रतिशत मुद्रास्फीति का प्रबंध करते हुए प्रदत्त एवं पूर्णप्रदत्त पॉलिसियों के लिए 6.00 प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष।

समूह व्यवसाय :

कार्यालय प्रीमियम का 8 प्रतिशत और 0.20 प्रति हजार बीमा राशि प्रति वर्ष।

iv) लाभसहित पॉलिसियों के संदर्भ में, भविष्य के प्रत्यावर्ती बोनस, जहाँ कही लागू है, का मूल्यन रिपोर्ट में अन्य स्थान में दर्शाये वर्तमान बोनस के स्तर पर किया गया है - मूल्यन के लिए प्रयोग बोनस दर में अधिशेष का केन्द्रीय सरकार का हिस्सा मूल्यांकन दिनांक के अनुसार निहित है।

(द) मारिशस व्यवसाय :

i) मृत्यु दर :

भारतीय बीमित जीवन मृत्यु (2006-08) 135 प्रतिशत चरम मृत्यु दर सारणी का, प्रयोग बीमों तथा विलंबित वार्षिकियों के मूल्यन के लिए किया गया है। तात्कालिक वार्षिकियों के मूल्यन के लिए जी.बी.नि.ए. (1996-98) चरम मृत्यु दर सारणी 3 वर्षों से घटाकर प्रयोग किया गया है।

ii) ब्याज की दर :

बीमों	6.00%
वार्षिकियाँ	6.00%

iii) व्यय के लिए प्रावधान :

बीमों :

क) सभी पॉलिसियों में कार्यालय प्रीमियम का 6.00%

ख) प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान मुद्रास्फीति के लिए 4% सालाना दर का प्रबंध करके मारिशस रु. 590.00 प्रति पॉलिसी।
 ग) 4% प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति का प्रबंध करते हुए प्रदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त पॉलिसियों के लिए मारिशस रु. 295.00 प्रति पॉलिसी।
 वार्षिकियाँ (भुगतान में):
 वार्षिकी संबन्धित: वार्षिकी का 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष।
 मृत्यु दावा संबन्धित: मृत्यु दावा के 5 प्रतिशत।
 विद्यमानता हितलाभ संबन्धित: विद्यमानता हितलाभ का 1 प्रतिशत।
 वार्षिकियाँ (विलम्बित अवधि में):
 प्रीमियम संबन्धित: प्रीमियम का 3%
 पॉलिसी संबन्धित: प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान मारिशस रु. 590.00 प्रति पॉलिसी
 प्रदन्त एवं पूर्ण प्रदत्त पॉलिसियों के लिए मारिशस रु. 295.00 प्रति पॉलिसी
 मुद्रास्फीति: 4% प्रतिवर्ष

iv) लाभसहित पॉलिसियों के संदर्भ में, भविष्य के प्रत्यावर्ती बोनस, जहाँ कहीं लागू है, का मूल्यन रिपोर्ट में अन्य स्थान में दर्शाये वर्तमान बोनस के स्तर पर किया गया है - मूल्यन के लिए प्रयोग बोनस दर में अधिशेष का केन्द्रीय सरकार का हिस्सा मूल्यांकन दिनांक के अनुसार निहित है।

8. समग्र रूप से यह आधार उचित है और ऐसे पर्याप्त सीमांत छोड़ते हैं जिनपर भविष्य में बोनस के वितरण के लिए अधिशेष में आवश्यक योगदान का भरोसा हो सके।

9. मूल्यन के परिणाम:

	यू. के.	फिजी **	मारिशस **	भारत *	योग **
	₹	₹	₹	₹	₹
31 मार्च 2014 की जीवन बीमा निधि (फिजी के लिए 31 दिसंबर 2013 जैसा कि तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	563,12,58,097	1569,57,99,078	618,73,01,425	1606444,84,24,109	1609196,27,82,708
घटाइए: बीमा और जीवन वार्षिकी संविदाओं के अंतर्गत शुद्ध देयताएँ	557,55,80,766	1543,47,42,899	599,77,19,212	1573810,26,50,056	1576511,06,92,931
अधिशेष: मूल्यन तुलन पत्र के अनुसार	5,56,77,331	26,10,56,179	18,95,82,213	32634,57,74,054	32685,20,89,777
असमायोजित अधिशेष	-	-	-	-	-
वितरणीय अधिशेष	5,56,77,331	26,10,56,179	18,95,82,213	32634,57,74,054	32685,20,89,777

* नियामक के दिशा-निर्देशानुसार, निधि में ₹ 1,31,24,514 की राशि, जो कि भविष्य में विनियोजन (भारत) के लिए है, को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा इसे अलग से दर्शाया गया है।

** यू. के., फिजी एवं मारिशस की परिसम्पत्तियों का मूल्यन मार्केट वेल्यू के आधार पर किया गया है तथा उनकी जीवन निधि और देयताओं को क्रमशः 1£ =99.363 ₹ 1F\$= ₹ 32.553 तथा 1 MRS = ₹ 1,981 की विनियम दर के अनुसार परिवर्तित किया गया है।

10. अधिशेष का आबंटन:

पॉलिसीधारकों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच अधिशेष का आबंटन का आधार सांविधिक है, जो जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 28 जो संसद द्वारा संशोधित एवं भारत सरकार के गजट अधिसूचना दि. 29 मार्च 2012 के द्वारा प्रभावी किया गया, के द्वारा निर्धारित किया गया है। अधिनियम के संशोधित अनुभाग के अनुसार अधिशेष का 90% या उससे ज्यादा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अनुसार, पॉलिसीधारकों के लिए आबंटन या आरक्षित की जाएगी। भारत सरकारने पत्र दि. 13 नवम्बर 2013 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को वर्तमान अधिशेष वितरण स्वरूप (यथा 95:5 में पॉलिसी धारकों को 95% आबंटन के द्वारा) को जारी रखने का अनुमोदन दिया है। तदनुसार, अधिशेष का निम्न आबंटन किया गया है।

पॉलिसीधारकों को ₹ 31050,94,37,767
 केन्द्रीय सरकार को ₹ 1634,26,52,010

पॉलिसीधारकों के अधिशेष का भाग, लाभसहित पॉलिसियों पर निम्नलिखित दरों से सरल प्रत्यावर्ती बोनस देने के लिए पर्याप्त है।

(अ) भारत में व्यवसाय

(i) निगम द्वारा जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में

1) आजीवन बीमों पर:

₹ 70.00 (70.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रति वर्ष।

2) बंदोबस्ती बीमों (जन रक्षा सहित लेकिन प्रत्याक्षित बंदोबस्ती, धनागम, जीवन सुरभि, जीवन मित्र, जीवन साथी, सीमित बंदोबस्ती, जीवन आनंद, जीवन रेखा, जीवन अनुराग, जीवन तरंग, जीवन मधुर, चाईल्ड करिअर, चाईल्ड फ्युचर, जीवन भारती, जीवन श्री-I)

(ब) यू. के. व्यवसाय

(i) निगम द्वारा जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में:

(1) आजीवन बीमों पर:

£10.00(£ 10.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रति वर्ष।

(2) बंदोबस्ती बीमों पर - पुरानी सीरीज की पॉलिसियाँ (प्रत्याशित बंदोबस्ती तथा विशेष बंदोबस्ती बीमों को छोड़कर):

(i) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष या अधिक अवधि के लिये।

(ii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 16 वर्ष से 24 वर्षीय अवधि के लिये।

(iii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 15 वर्ष और उससे कम अवधि के लिये।

(3) प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमों पर:

(i) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष अवधि के लिये।

(ii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष अवधि के लिये।

(iii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 15 वर्ष अवधि के लिये।

(4) विशेष बंदोबस्ती बीमों पर:

(i) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष या अधिक अवधि के लिये।

(ii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 16 वर्ष से 24 वर्ष तक की अवधि के लिये।

(iii) £ 5.00(£ 5.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 15 वर्ष और उससे कम अवधि के लिये।

(5) नई सीरीज - सामान्य प्रीमियम और एकल प्रीमियम बंदोबस्ती पर:

£17.50 (£17.50) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष सभी वर्ष की अवधि के लिये।

(ii) पिछली बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पॉलिसियों पर बोनस, भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पॉलिसियों का वर्गीकरण) विनियम, 1961 के आधार पर है।

(स) फिजी व्यवसाय

(i) निगम द्वारा जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में:

1) आजीव बीमों पर:

फिजी \$ 52.00 (फिजी \$ 52.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष।

2) बंदोबस्ती बीमों (प्लान 14,48) (प्रत्याशित बंदोबस्ती और धनागम बीमों को छोड़कर) पर:

(i) फिजी \$ 43.00 (फिजी \$ 43.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष या अधिक अवधि के लिये।

(ii) फिजी \$ 40.00 (फिजी \$ 40.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष से 24 वर्ष तक की अवधि के लिये।

(iii) फिजी \$ 33.00 (फिजी \$ 33.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवधि के लिये।

(iv) फिजी \$ 28.00 (फिजी \$ 28.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 10 वर्ष और उससे कम अवधि के लिये।

3) बंदोबस्ती बीमों (प्लान 614, 645, 648) पर:

(i) फिजी \$ 39.00 (फिजी \$ 39.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष या अधिक अवधि के लिये।

(ii) फिजी \$ 37.00 (फिजी \$ 37.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष से 24 वर्ष तक की अवधि के लिये।

(iii) फिजी \$ 35.00 (फिजी \$ 35.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 11 वर्ष से 19 वर्ष तक की अवधि के लिये।

(iv) फिजी \$ 33.00 (फिजी \$ 33.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 10 वर्ष और उससे कम अवधि के लिये।

4) प्रत्याशित बंदोबस्ती और धनागम बीमों (प्लान 74, 75 और 93) पर:

(i) फिजी \$ 31.00 (फिजी \$ 31.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष अवधि के लिये।

(ii) फिजी \$ 25.00 (फिजी \$ 25.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष अवधि के लिये।

(iii) फिजी \$ 24.00 (फिजी \$ 24.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 15 वर्ष अवधि के लिये।

5) नई बाल धनागम बीमों (प्लान 601,602,603):

फिजी 36.00 (फिजी \$ 36.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 10 से 20 वर्ष की अवधि के लिये।

- 6) धनागम बीमों (प्लान 674,675 और 693) पर:
- फिजी \$ 33.00 (फिजी \$ 33.00) प्रति हजार राशि प्रतिवर्ष 25 अवधि के लिये।
 - फिजी \$ 31.00 (फिजी \$ 31.00) प्रति हजार राशि प्रतिवर्ष 20 अवधि के लिये।
 - फिजी \$ 31.00 (फिजी \$ 31.00) प्रति हजार राशि प्रतिवर्ष 15 अवधि के लिये।
- ii) पिछली बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई पॉलिसियों पर बोनस, भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस दे लिए पॉलिसियों का वर्गीकरण) विनियम, 1961 के आधार पर है।

(द) मारिशस व्यवसाय:

- निगम द्वारा जारी की गई पॉलिसियों के संबंध में:
 - आजीवन बीमों पर :

मारिशस रू. 60.00 (मारिशस रू. 62.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष।
 - बंदोबस्ती बीमों पर (धनागम पॉलिसियों छोड़कर) :
 - मारिशस रू. 46.00 (मारिशस रू. 49.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष या अधिक अवधि के लिए।
 - मारिशस रू. 36.00 (मारिशस रू. 39.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष से कम अवधि के लिये।
 - धनागम पॉलिसियों पर :
 - मारिशस रू. 42.00 (मारिशस रू. 42.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 25 वर्ष अवधि के लिये।
 - मारिशस रू. 38.00 (मारिशस रू. 39.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 20 वर्ष अवधि के लिये।
 - मारिशस रू. 33.00 (मारिशस रू. 34.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 15 वर्ष अवधि के लिये।
 - मारिशस रू. 30.00 (मारिशस रू. 32.00) प्रति हजार बीमा राशि प्रतिवर्ष 12 वर्ष अवधि के लिये।
 - पिछली कम्पनियों द्वारा जारी की गई पॉलिसियों पर बोनस, भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पॉलिसियों का वर्गीकरण) विनियम, 1961 के आधार पर है।
11. पॉलिसियों पर घोषित बोनस पॉलिसी की आरंभ तिथि के बाद 3 वर्षों तक पूरी बीमा राशि के लिए चालू दशा में रहने पर निहित होगा। लेकिन इन तीन वर्षों के बीच भी मृत्यु होने के कारण दावा होने की स्थिति में पूरी बीमा राशि के लिए चालू लाभ सहित पॉलिसियों पर बोनस देय होगा। फिजी एवं मारिशस रजिस्टर की पॉलिसियां पर बोनस आरंभ तिथि के बाद 5 वर्षों तक पूरी बीमा राशि के लिए चाली दशा में रहने पर निहित होगा और यू.के. रजिस्टर की पॉलिसियों के संबंध में बोनस सभी पॉलिसियों पर तत्काल निहित होगा।
- बोनस बीमा राशि के अतिरिक्त होता है और इसके साथ-साथ देय होता है। मूल्यन तिथि के पश्चात परंतु चालू पॉलिसी वर्ष में प्रीमियम की सभी किश्तें देने से पहले, कम चुकता मूल्यवाली पॉलिसियों पर उस वर्ष अनुपातिक रूप से बोनस निहित होंगे।
12. यह भी घोषित किया जाता है कि, पैरा 10(अ) (i) व (ii) में वर्णित दरों पर अंतरिम बोनस निम्नलिखित (क) और (ख) के अंतर्गत पॉलिसियों पर प्रत्येक के साथ दिए पॉलिसी वर्ष के लिए दिया जाए।
- क) 1 जनवरी 2015 से आरंभ और अगली मूल्यन तिथि के 9 मास पश्चात तक की अवधि में मृत्यु या परिपक्वता या बड़ा दावे वाली (पूर्णावधि की तिथि से 1 वर्ष पहले अभ्यर्पित मूल्यवाली) सभी प्रत्यावर्ती बोनस वाली पॉलिसियों के लिए बोनस 31 मार्च 2014 के बाद चलनेवाले प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए होगा। शर्त यह है कि वे पॉलिसियाँ दावे बढ़े की तिथि को पूर्ण रूप से चालू हो।
- ख) 1 जनवरी 2015 से आरंभ और अगले मूल्यन तिथि के 9 मास पश्चात तक की अवधि में अभ्यर्पित हुई लाभ पॉलिसियों के लिए (बढ़ागत दावे जो पॉलिसियाँ परिपक्वता के एक साल के अंदर अभ्यर्पित हुई हैं उन्हें छोड़कर) 31 मार्च 2014 के बाद अगले मूल्यन तिथि तक के प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए, बशर्ते वे पॉलिसियाँ अगले मूल्यांकन की तिथि पर प्रत्यावर्ती बोनस के लिए भागीदार/सम्मिलित होने का अधिकार रखती हैं। अगर अभ्यर्पण की तिथि से पूर्व ऐसे पॉलिसी वर्ष के लिए सभी प्रीमियम किश्त अदा नहीं किये गये थे तो अगले मूल्यन तिथि पर चालू पॉलिसी वर्ष के संबंध में अनुपातिक बोनस दिया जाएगा।

13. यह भी घोषित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित दरों पर अंतिम (अतिरिक्त) बोनस उन सभी लाभसहित पॉलिसियों को दिया जाये, बशर्ते अर्हक शर्तों के अधीन, 1 जनवरी 2014 से अगले मूल्यन की तिथी के 9 मास बाद तक की अवधि में वे पूर्णवधि (बढ़ागत दावे भी) या मृत्यु दावे की तारीख तक पूरी बीमा राशि के लिए चालू स्थिति में रखी गई हो। अंतिम (अतिरिक्त) बोनस एकमुश्त रकम बोनस है और पूरी बीमा राशि व निहित बोनस के साथ ही देय है।

क) प्रत्याशित बंदोबस्ती, धनागम और जीवन सुरभि पॉलिसियों को छोड़कर सभी लाभसहित पॉलिसियाँ :

अ) 15 वर्ष या उससे अधिक अवधि की इस वर्ग की बीमा पॉलिसियों पर अंतिम (अतिरिक्त) बोनस परिपक्वता (बढ़ागत दावे भी) पर देय होगा। मृत्यु दावों के संबंध में, जहाँ 15 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है, ऐसी पॉलिसियों पर वह अंतिम (अतिरिक्त) बोनस देय होगा। सीमित भुगतान पॉलिसियों के मृत्यु दावों के संबंध में 15 वे पॉलिसी वर्ष या उसके बाद मृत्यु होती है तो यह बोनस देय होगा।

अंतिम (अतिरिक्त) बोनस दरें निम्न प्रकार हैं :

पूर्णावधियों (बढ़ागत दावे भी) के संबंध में अवधि/मृत्युदावों* के संबंध में प्रीमियम अदा किए गए वर्षों की संख्या	प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए अंतिम (अतिरिक्त) बोनस की रकम			
	₹ 25,000 तक	₹ 25,001 से ₹ 50,000 तक	₹ 50,001 से ₹ 1,99,999 तक	₹ 2,00,000 और उससे अधिक
15	0	0	10	20
16	0	0	15	25
17	0	10	20	30
18	10	15	25	35
19	15	20	30	50
20	20	25	40	70
21	25	30	50	100
22	30	50	80	150
23	35	100	150	250
24	70	150	230	350
25	170	250	330	450
26	270	350	430	550
27	370	450	540	670
28	470	550	650	790
29	570	650	760	910
30	670	750	900	1100
31	800	900	1100	1300
32	950	1050	1300	1550
33	1100	1200	1550	1800
34	1250	1350	1700	2050
35	1400	1500	1850	2300
36	1550	1650	2050	2550
37	1700	1800	2250	2800
38	1850	1950	2500	3050
39	2000	2100	2750	3300
40 और उससे अधिक	2150	2500	3000	3550

* एकल प्रीमियम/पूर्ण प्रदत्त सीमित पॉलिसियों के मृत्यु दावों के संबंध में वर्षों की संख्या का अर्थ व्यतीत पॉलिसी वर्षों से होगा, इसमें वह पॉलिसी वर्ष भी शामिल होगा जिसमें मृत्यु हुई है।

- ब) यही दरें व योग्यता शर्तें जॉइंट लाईफ, शताब्दी परिवर्तनशील आजीवन जो 5 वर्षों बाद बंदोबस्ती बीमें में परिवर्ती कर दी गई हो, बहु प्रयोजन तालिकाओं, बाल विलंबित तालिकाओं और भूतपूर्व बीमाकर्ताओं द्वारा जारी समान तालिकाओं पर लागू की जा सकती हैं। बाल विलंबित पॉलिसी में पॉलिसी की अवधि मृत्यु के समय बीती अवधि अस्थागित तिथि/जोखिम के प्रारम्भ की तिथि से जोड़ी जाएगी। बहु प्रयोजन पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु दावों में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस की राशि मूल अवधि के समाप्ति पर प्रत्यावर्ती बोनस के साथ भुगतान की जाएगी। समृद्धी अनुरूप संरक्षण पॉलिसियों के बारे में अंतिम (अतिरिक्त) बोनस मृत्यु तिथि/पूर्णावधि तिथि पर चालू बीमित राशि पर निर्भर हैं। नकद तथा सुरक्षा पॉलिसी और प्रत्याशित आजीवन पॉलिसी के अंतर्गत यदि प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत के बाद मृत्यु हुई हो तो अंतिम (अतिरिक्त) बोनस देय होगा।

ख) (i) प्रत्याशित बंदोबस्ती तथा धनागम पॉलिसियाँ :

ये पॉलिसियाँ केवल 12, 15, 20 एवं 25 वर्ष की अवधियों के लिए जारी की गई हैं। ऐसी पॉलिसियों के लिए निम्न दरों पर अंतिम (अतिरिक्त) बोनस देय होगा:

पूर्णावधियों (बढ़ागत दावे भी) के संबंध में अवधि / मृत्युदावों के संबंध में प्रीमियम अदा किए गए वर्षों की संख्या	प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए अंतिम (अतिरिक्त) बोनस की रकम			
	₹ 25,000 तक	₹ 25,001 से ₹ 50,000 तक	₹ 50,001 से ₹ 1,99,999 तक	₹ 2,00,000 और उससे अधिक
15 से कम	0	0	0	0
15-19	0	0	15	20
20	0	10	30	40
21-24	10	20	30	40
25	40	150	175	225

(ii) जीवन सुरभि पॉलिसियाँ :

पूर्णावधियों (बढ़ागत दावे भी) के संबंध में अवधि / मृत्युदावों के संबंध में प्रीमियम अदा किए गए वर्षों की संख्या	प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए अंतिम (अतिरिक्त) बोनस की रकम			
	₹ 25,000 तक	₹ 25,001 से ₹ 50,000 तक	₹ 50,001 से ₹ 1,99,999 तक	₹ 2,00,000 और उससे अधिक
15 से कम	-	-	-	-
15-19	-	-	20	30
20	40	50	75	100
21-23	40	80	100	125

- ग) जीवन अक्षय (योजना 97), जीवन धारा (योजना 96) पॉलिसियों (निहित होने, निहित होने के बाद और मृत्यु होने पर), तात्कालिक वार्षिकियाँ (योजना 115), विलम्बित वार्षिकियाँ (योजना 116), जीवन सुरक्षा पॉलिसियाँ तथा समूह वार्षिकियों के लिए अंतिम (अतिरिक्त) बोनस घोषित नहीं किया गया है।
- घ) अंतिम (अतिरिक्त) बोनस की दरें और पूर्वतर उल्लेखित पात्रता शर्तें पूर्व बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई समान प्रकार की लाभसहित पॉलिसियों पर भी उनकी बोनस इन्डायसेस पर विचार किए बिना लागू होगी।
- ड) यू. के. फिजी और मारिशस व्यवसाय के संबंध में घोषित अंतिम (अतिरिक्त) बोनसों के लिए सुसंगत पृथक मूल्यन विवरणी को देखा जा सकता है।

च) निष्ठा योग :

निष्ठा योग दरें 01.01.2015 से लेकर अगले मूल्यन तिथि के 9 मास पश्चात तक निम्नलिखित प्लानों के लिए लागू है।

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए पूर्णावधि पर देय		
योजना	अवधि	निष्ठा परिवर्धन
बाल विद्या (प्लान 135)	12	100
बाल विद्या (प्लान 135)	13	250
बाल विद्या (प्लान 135)	14	400
बाल विद्या (प्लान 135)	15	500
बाल विद्या (प्लान 135)	16	600
जीवन विश्वास (प्लान 136)	10-17	40
नव प्रभात (प्लान 137)	सभी	90
बीमा निवेश 2004 (प्लान 166)	10	100
बीमा निवेश 2005 (प्लान 171)	5	70
बीमा निवेश 2005 (प्लान 171)	10	100
बीमा बचत (प्लान 175)	9	110

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए मृत्यु पर देय		
प्लान	व्यतीत अवधि	निष्ठा परिवर्धन
जीवन विश्वास (प्लान 136)	5-17	40
नव प्रभात (प्लान 137)	सभी	45

पूर्णावधि या मृत्यु पर भुगतान प्रीमियम (₹) के प्रतिशत के रूप में देय		
प्लान	अवधि / मृत्यु पर व्यतित अवधि	निष्ठा परिवर्धन
111	15 से 19	25%
	20 से 22	35%

जीवन श्री (प्लान 112) के अंतर्गत प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए पूर्णावधि या मृत्यु पर देय निष्ठा योग														
अवधि	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
मृत्यु पर व्यतीत अवधि/परिपक्वता पर अवधि														
12	140	90	65	45	40	35	30	25	25	20	20	20	20	20
13	-	175	105	80	70	60	50	40	40	30	30	30	30	25
14	-	-	210	160	120	90	70	55	50	45	40	40	40	40
15	-	-	-	250	180	150	120	90	70	65	60	55	50	50
16	-	-	-	-	345	250	190	140	105	90	80	70	65	60
17	-	-	-	-	-	450	300	200	145	120	100	85	70	70
18	-	-	-	-	-	-	560	350	200	150	125	105	85	85
19	-	-	-	-	-	-	-	680	260	200	150	125	105	105
20	-	-	-	-	-	-	-	-	810	260	200	150	125	125
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950	250	190	150	150
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1090	300	250	200

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि के लिए पूर्णावधि या मृत्यु (जोखिम शुरु होने के बाद) पर देय		
प्लान	व्यतीत अवधि	निष्ठा परिवर्धन
चिल्ड्रेन मनी बैक (प्लान 113)	11 तक	-
	12	10
	13	15
	14	20
	15	30
	16	40
	17	50
	18	65
	19	80
	20	100

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि पर परिपक्वता या मृत्यु होने पर देय निष्ठा परिवर्धन				
योजना	जीवन संचय (प्लान 124)	जीवन संचय (प्लान 125)	जीवन संचय (प्लान 126)	जीवन स्नेह (प्लान 128)
व्यतीत अवधि				
15	30	-	-	-
16	-	10	-	-
17	-	20	-	10
18	-	30	10	20
19	-	40	15	30
20	-	60	20	40

जीवन स्नेह (योजना 128) के अंतर्गत निष्ठा परिवर्धन केवल उन्ही पॉलिसिधारकों को देय है जो कभी भी विद्यमानता हितलाभ के आस्थगन विकल्प का चयन नहीं किया है।

न्यू बीमा किरण (प्लान 150) के अंतर्गत पूर्णावधि या मृत्यु पर भुगतान प्रीमियम (₹) के प्रतिशत के रूप में देय निष्ठा परिवर्धन																
अवधि	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	≥ 25
मृत्यु पर व्यतीत अवधि/ परिपक्वता पर अवधि																
9	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
10	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
11		20%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
12			20%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
13				25%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
14					30%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
15						35%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि पर परिपक्वता या मृत्यु होने पर देय निष्ठा परिवर्धन				
योजना	जीवन समृद्धि (प्लान 154)	जीवन समृद्धि (प्लान 155)	जीवन समृद्धि (प्लान 156)	जीवन समृद्धि (प्लान 157)
मृत्यु व्यतीत अवधि / परिपक्वता पर अवधि				
9	40	40	40	40
10	50	50	50	50
11	80	70	60	60
12	120	90	70	70
13	-	110	80	80
14	-	130	90	90

प्रति ₹ 1000 बीमा राशि पर पूर्णावधि या मृत्यु होने पर देय निष्ठा योग				
योजना	कोमल जीवन (प्लान 159) (अवधि जोखिम प्रारम्भ होने की तिथी से)	न्यू जीवन श्री (151-15)	न्यू जीवन श्री (151-20)	न्यू जीवन श्री (151-25)
मृत्यु व्यतीत अवधि/परिपक्वता पर अवधि				
4	25	-	-	-
5	30	-	-	-
6	35	-	-	-
7	40	-	-	-
8	45	-	-	-
9	55	-	-	-
10	65	-	-	-
11	75	50	50	45
12	90	60	55	50
13	-	75	70	65
14	-	90	85	80
15	-	200	100	95

परिपक्वता / मृत्यु / अभ्यर्पण द्वारा निर्गम पर व्यतीत अवधि के संगत जिसके लिए पॉलिसी जारी रहा हो, बशर्ते कम से कम 10 वर्ष का पूर्ण प्रीमियम भुगतान किया हो, के लिए प्रति ₹ 1000 परिपक्वता बीमा राशि पर देय निष्ठा परिवर्धन - जीवन सरल (प्लान 165)				
वार्षिक प्रीमियम बैंड	5000 तक	5001 से 20000	20001 से 50000	50000 से अधिक
व्यतीत अवधि				
10	250	300	350	375
11	300	350	400	425
12	325	375	425	450
13	350	400	450	475

पूर्णावधि / पूर्णावधि वर्ष में मृत्यु पर प्रति ₹ 1000 परिपक्वता बीमा राशि पर देय ।		
प्लान	अवधि	निष्ठा परिवर्धन
जीवन निश्चय (प्लान 199)	5	20
	7	30

अन्य कोई योजना के लिए निष्ठा योग घोषित नहीं किया गया है ।

छ) बीमा अकाउंट के अंतर्गत अतिरिक्त ब्याज दर

बीमा अकाउंट I (प्लान 805) तथा बीमा अकाउंट II (प्लान 806) के अंतर्गत कोई अतिरिक्त ब्याज की दर घोषित नहीं किया गया है ।

(पी. के. अरोरा)

(फैलो ऑफ दी इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्यूरिज ऑफ इंडिया)

नियुक्त बिमांकक

मुंबई, 20 जून, 2014

अनुसूची

भारतीय जीवन बीमा निगम व उन पिछली कंपनियों, जिनका नियंत्रित व्यापार हस्तांतरित व निगम में समाहित हो गया है, के द्वारा जारी की गई पॉलिसियों पर 31 मार्च 2014 को हुए मूल्यन पर आबंटित किए गए बोनस की दरें

(जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, पिछली कंपनियों द्वारा पॉलिसियाँ 19-1-1956 को या पहले जारी की हुई मानी जाएगी)

भाग - 1

	बोनस प्रति हजार बीमित धन प्रतिवर्ष	
	आजीवन बीमा ₹	बंदोबस्ती बीमा ₹
समूह सूचक 49	340.00	-
गुजरात पारसी को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
समूह सूचक 25	175.00	120.00
स्वदेशी प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 23	161.00	110.40
म्युच्युअल हिंदू फेमिली प्रोविडेंट फंड		
समूह सूचक 21	147.00	100.80
स्कॉटिश युनियन एण्ड नेशनल इन्शोरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 20	140.00	96.00
फेमिली म्युच्युअल प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 19	133.00	91.20
कमर्शियल युनियन इन्शोरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 18	126.00	86.40
1. ऑल इंडिया पोस्टमैन युनियन प्रोविडेंट इन्शोरेन्स सोसायटी		
2. मोडेल प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
3. वेस्टर्न रेल्वे जोरोस्ट्रियन को-आपरेटिव डेथ बेनिफिट एसोसिएशन		
समूह सूचक 17	119.00	-
बॉम्बे फेमिली पेन्शन फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स (वार्षिकी पॉलिसियों को छोड़कर जो भाग 2 में आती है)		
समूह सूचक 16	112.00	76.80
1. रॉयल इन्शोरेन्स कंपनी		
2. विन्डसर प्रोविडेंट एश्योरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 15	105.00	72.00
1. इंडियन रेल्वे एम्प्लॉइज म्युच्युअल प्रोविडेंट सोसायटी		
2. फिनिक्स एश्योरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 14	98.00	67.20
1. ऑल इंडिया एण्ड बर्मा प्रोविडेंट फंड		
2. आर्गस इन्शोरेन्स कंपनी		
3. कलकत्ता इन्शोरेन्स		
4. जयभारत इन्शोरेन्स कंपनी		
5. मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव प्रोविडेंट इन्शोरेन्स सोसायटी		
6. म्युच्युअल हेल्प एसोसिएशन		
7. नैशनल इंडियन लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी		
8. नेपच्युन एश्योरेन्स कंपनी		
9. नार्थ ब्रिटिश मर्कन्टाइल इन्शोरेन्स कंपनी		
10. युनियन प्रोविडेंट सोसायटी		
11. यार्कशायर इन्शोरेन्स कंपनी		

बोनस प्रति हजार
बीमित धन प्रतिवर्ष

आजीवन बीमा ₹	बंदोबस्ती बीमा ₹
91.00	62.40

समूह सूचक 13

1. एसोशिएका गोयना डे म्युच्युओ ऑक्सिलो
2. बंगाल सेक्रेटरियेट को-ऑपरेटिव इन्शुरेन्स सोसायटी
3. सेन्ट्रल म्युच्युअल लाइफ इन्शुरेन्स कंपनी
4. ईस्टर्न रेल्वेमेन्स को-ऑपरेटिव लाइफ इन्शुरेन्स सोसायटी
5. ब्रेशाम लाइफ एश्युरेन्स सोसायटी
6. हावड़ा इन्शुरेन्स कंपनी
7. इंडियन ग्लोब इन्शुरेन्स कंपनी
8. इन्शुरेन्स ऑफ इंडिया
9. जुबली इन्शुरेन्स कंपनी
10. मैंगलोर रोमन कैथोलिक पायोनियर फंड
11. न्यु गार्डीयन ऑफ इंडिया लाइफ इन्शुरेन्स कंपनी
12. न्यु प्रोविडेंट इन्शुरेन्स कंपनी
13. नोर्विच युनियन लाइफ इन्शुरेन्स सोसायटी
14. पायोनियर फायर एण्ड जनरल इन्शुरेन्स कंपनी
15. रेल्वे एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव इन्शुरेन्स सोसायटी
16. सिक्क्योरिटी प्रोविडेंट इन्शुरेन्स कंपनी
17. तिन्नेलवली डायोसीयन म्युच्युअल इन्शुरेन्स कंपनी
(वार्षिकी पॉलिसियाँ छोड़कर)
18. युनायटेड इंडिया प्रोविडेंट एश्युरेन्स कंपनी
19. वेंगार्ड प्रोविडेंट एश्युरेन्स कंपनी
20. विक्रम जनरल एश्युरेन्स कंपनी
21. वेस्टर्न इंडिया लाइफ इन्शुरेन्स कंपनी

समूह सूचक 12

1. ऑल इंडिया जनरल इन्शुरेन्स कंपनी
2. आर्यन चेम्पियन इन्शुरेन्स कंपनी
3. बॉम्बे अलार्थेस एश्युरेन्स कंपनी
4. बुलियन प्रोविडेंट इन्शुरेन्स कंपनी
5. कैनरा म्युच्युअल एश्युरेन्स कंपनी
6. कैथोलिक प्रोविडेंट फंड
7. सी. के. पी. फैमिली रिलीफ प्रोविडेंट को-ऑपरेटिव सोसायटी
8. सेंट्रल रेल्वे एम्प्लॉईज एश्युरेन्स फंड
9. एम्पायर ऑफ इंडिया लाइफ एश्युरेन्स कंपनी
10. हिंदु फैमिली एन्युटी फंड
(भाग II की वार्षिकी पॉलिसियों को छोड़कर)
11. हिंदु म्युच्युअल लाइफ एश्युरेन्स
12. इंडिया लाइफ एण्ड जनरल एश्युरेन्स सोसायटी
13. इंडियन मर्कन्टाइल इन्शुरेन्स कंपनी
14. महाबीर इन्शुरेन्स कंपनी
15. मैसूर गवर्नमेंट इन्शुरेन्स डिपार्टमेंट
(31.8.1956 को या पहले जारी पॉलिसियाँ)

84.00

57.60

बोनस प्रति हजार
बीमित धन प्रतिवर्ष

	आजीवन बीमा ₹	बंदोबस्ती बीमा ₹
16. ओरिएंटल गवर्नमेंट सिव्योरिटी लाइफ एश्योरेन्स कंपनी		
17. पोस्टस एण्ड टेलिग्राफ्स म्युच्युअल प्रोविडेंट फंड		
18. प्रीमियर लाइफ एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कंपनी		
19. प्रोविडेंट यूनिजन इन्शोरेन्स कंपनी		
20. प्रुडेन्शियल एश्योरेन्स कंपनी		
21. रेडिकल इन्शोरेन्स कंपनी		
22. रेल्वे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट इन्शोरेन्स सोसायटी		
23. सोशियल सर्विस प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
24. साउथ इंडिया को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
25. तिलक इन्शोरेन्स कंपनी		
26. ट्रस्ट ऑफ इंडिया एश्योरेन्स कंपनी		
27. यूनायटेड इंडिया लाइफ एश्योरेन्स कंपनी		
28. योर ओन प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 11	77.00	52.80
1. अहिंसा प्रोविडेंट एश्योरेन्स		
2. ऑल इंडिया नेशनल प्रोविडेंट		
3. आर्यस्थान इन्शोरेन्स कंपनी		
4. एशियन एश्योरेन्स कंपनी		
5. औंध म्युच्युअल लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी		
6. बिहार युनायटेड इन्शोरेन्स		
7. बॉम्बे को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
8. बाम्बे लाइफ एश्योरेन्स कंपनी		
9. बॉम्बे म्युच्युअल लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी		
10. बॉम्बे जोरोस्ट्रियन को-ऑपरेटिव लाइफ एश्योरेन्स सोसायटी		
11. कलकत्ता कस्टम्स को-ऑपरेटिव बेनिफिट सोसायटी		
12. कार्डियल प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
13. कार्पोरेशन को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
14. क्राउन लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी		
15. ईस्ट इंडिया इन्शुरेन्स कंपनी		
16. हैदराबाद को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
17. इन्कोर्पोरेटेड प्रोविडेंट इन्शोरेन्स		
18. इंडियन पोस्टस एण्ड टेलिग्राफ्स को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
19. इन्डस्ट्रियल एण्ड प्रुडेन्शियल एश्योरेन्स कंपनी		
20. मध्यप्रदेश म्युच्युअल इन्शोरेन्स कंपनी		
21. न्यू एसियाटिक इन्शोरेन्स कंपनी		
22. न्यू ग्रेट इन्शोरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया		
23. न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी		
24. न्यू मेट्रो इन्शोरेन्स कंपनी		
25. पर्ल एश्योरेन्स कंपनी		
26. पुलिस को-ऑपरेटिव लाइफ इन्शोरेन्स सोसायटी		
27. पृथ्वी म्युच्युअल प्रोविडेंट कंपनी		

बोनस प्रति हजार
बीमित धन प्रतिवर्ष

	आजीवन बीमा ₹	बंदोबस्ती बीमा ₹
28. सर्वेट्स ऑफ इंडिया इन्शोरेन्स कंपनी		
29. सन लाइफ एश्योरेन्स कंपनी ऑफ कनाडा		
30. स्वराज लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी		
31. टीचर्स प्रोविडेंट इन्शोरेन्स सोसायटी		
32. यूनिवर्सल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कंपनी		
33. वैगार्ड इन्शोरेन्स कंपनी		
34. वसंत इन्शोरेन्स कंपनी		
35. यशवंत म्युच्युअल इन्शोरेन्स कंपनी		
36. जेनिथ एश्योरेन्स कंपनी		
37. जुपिटर जनरल इन्शोरेन्स कंपनी (सभी पॉलिसियाँ)		
समूह सूचक 10	70.00	48.00
1. भारत इन्शोरेन्स कंपनी (सभी पॉलिसियाँ)		
2. भास्कर इन्शोरेन्स कंपनी		
3. ब्रिटिश इंडिया जनरल इन्शोरेन्स कंपनी		
4. कलकत्ता पोस्टल एण्ड आर. एम. एस. को-ऑपरेटिव म्युच्युअल बेनिफिट सोसायटी		
5. कमर्शियल इन्शोरेन्स कंपनी		
6. डिपाजिटर्स बेनिफिट इन्शोरेन्स कंपनी		
7. ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉईज को-ऑपरेटिव प्रोविडेंट एश्योरेन्स सोसायटी		
8. जनरल एश्योरेन्स सोसायटी		
9. गुजरात पाँपुलर प्रोविडेंट इन्शोरेन्स सोसायटी		
10. हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
11. हिंदुस्तान आइडियल इन्शोरेन्स कंपनी		
12. लक्ष्मी इन्शोरेन्स कंपनी		
13. लाइफ इन्शोरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (जुपिटर जनरल इन्शोरेन्स कंपनी, मैसूर सरकार इन्शोरेन्स डिपार्टमेंट तथा पटियाला इन्शोरेन्स कार्पोरेशन को छोड़कर अन्य पिछली कंपनियों द्वारा जारी 19-1-1956 के बाद की पॉलिसियों सहित)		
14. महागुजरात को-ऑपरेटिव इन्शोरेन्स सोसायटी		
15. मिडलैंड इन्शोरेन्स कंपनी		
16. मैसूर प्रोविडेंट इन्शोरेन्स कंपनी		
17. नेशनल इन्शोरेन्स कंपनी		
18. नेशनल स्टार एश्योरेन्स कंपनी		
19. सरस्वती इन्शोरेन्स कंपनी		
20. साउथ इन्डियन टीचर्स यूनियन प्रोटेक्शन फंड		
21. स्टैंडर्ड प्रोविडेंट इन्शोरेन्स एण्ड एन्युटी कंपनी		
22. तरुण एश्योरेन्स कंपनी		
23. त्रावणकोर स्टेट इन्शोरेन्स डिपार्टमेंट		
24. वेस्टर्न प्रोविडेंट एण्ड जनरल एश्योरेन्स कंपनी		
समूह सूचक 0 से 9	70.00	48.00

भाग -II

खण्ड ए

आनंद इन्शोरेंस कंपनी द्वारा 19-1-1956 को या पहले जारी पॉलिसियाँ ₹ 20 प्रति हजार बीमित धन राशि प्रतिवर्ष के बोनस की हकदार होंगी।

खण्ड बी

19-1-1956 को या पहले जारी वार्षिकी पॉलिसियाँ जो निम्न के द्वारा जारी की गईं:

1. बंगाल क्रिश्चियन फैमिली पेन्शन फंड
2. बॉम्बे फैमिली पेन्शन फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेयर्स
3. सी.एम.एस. तेलगु चर्च विडोज प्रोविडेंट फंड
4. हिंदू फैमिली एन्यूटी फंड

वे निम्नलिखित लाभों के लिए हकदार होंगी:

1. बंगाल क्रिश्चियन फैमिली पेन्शन फंड

क) निम्न में से कोई भी घटना होने पर अभिदाता को चुकता किए सभी अंशदानों को नकद वापस करना:

- i) तालिका ए बी व सी के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति का अभिदाता से पहले मृत्यु हो जाना,
- ii) तालिका बी में नामांकित व्यक्ति का 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेना, या महिला पेन्शन प्राप्त किये बिना विवाह कर लेना,
- iii) तालिका सी में नामांकित व्यक्ति का बिना किसी पेन्शन के प्राप्त किये विवाह कर लेना,

ख) जिन अभिदाताओं ने पूरे 30 वर्ष तक अंशदान का भुगतान कर दिया है उन्हें आगे अंशदान के भुगतान से छूट रहेगी।

2. बॉम्बे फैमिली पेन्शन फंड ऑफ गवर्नमेंट सर्वेयर्स विडोज ब्रांच - प्रत्यावर्ती वार्षिकी :

31-3-1926 के बाद प्रवेश करनेवालों के मामले में, अन्तरमूल्यन अवधि के प्रत्येक वर्ष में मूल्यन तिथि तक चुकता किए गये योगदान के एक प्रतिशत के बराबर राशि, तथा 1-4-1926 के पहले प्रवेश करनेवालों के मामले में इस राशि के दुगुने के बराबर राशि इस प्रकार के पॉलिसिधारकों को आबंटित की जाय।

3. सी.एम.एस. तेलगु चर्च विडोज प्रोविडेंट फंड :

पॉलिसियाँ वार्षिकी में मूल वार्षिकी की। प्रतिशत वृद्धि प्रत्येक अन्तरमूल्यन अवधि वर्ष के लिए पाने की हकदार होंगी।

4. हिंदू फैमिली एन्यूटी फंड:

क) तालिका I, III, III ए व III बी के अंतर्गत जिन्होंने निम्नानुसार प्रीमियमों की संख्या पूरी कर ली है उन्हें आगे के प्रीमियम चुकाने से छूट:

तालिका I.....	$\frac{(100 - \text{प्रवेश पर आयु})}{2}$
तालिका III.....	$\frac{(55 - \text{प्रवेश पर आयु})}{9} \times 8$
तालिका IIIए.....	$\frac{(60 - \text{प्रवेश पर आयु})}{9} \times 8$
तालिका IIIबी.....	$\frac{(65 - \text{प्रवेश पर आयु})}{9} \times 8$

ख) तालिका I, III, IIIए व III बी के अंतर्गत यदि नामांकित व्यक्ति अभिदाता से पहले मर जाता है तो सदस्य को तीसरे वर्ष से शुरू होने वाले चुकता प्रीमियमों की 65 प्रतिशत वापसी।

ग) अस्थायी प्रत्यावर्ती वार्षिकी योजना के अंतर्गत तय अवधि के आधे तक अंशदानों के भुगतान के बाद चुकाए गये सारे प्रीमियमों की वापसी।

भाग - III

भारतीय जीवन बीमा निगम (विभेदी बोनस के लिए पॉलिसियों का वर्गीकरण) विनियम 1961 के विनियम 5 व 6 के अनुसार भाग I में दिए गए बोनस उन पॉलिसियों पर लागू नहीं होते जो संविदा के अनुसार किसी विभिन्न दर पर बोनस की हकदार है या जो पॉलिसियाँ 19-1-1956 से पहले किसी बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो गयी हैं, ये निम्नलिखित रूप से निकाले गए बोनस के लिए हकदार होगी:

- (1) यदि किसी बीमाकर्ता की कोई पॉलिसी संविदानुसार 18-1-1956 को चालू किसी तालिका के अंतर्गत जारी पॉलिसियों पर लागू होने वाले बोनस की दर तुलना में भिन्न दर पर बोनस की हकदार है तो पहले तरह की पॉलिसियों पर बोनस संविदा के प्रावधानों के अनुसार दूसरे प्रकार की पॉलिसियों पर बोनस के साथ संबंधित किया जाएगा। यदि भिन्न प्रकार दर स्पष्ट नहीं लिखी है तो पहली प्रकार की पॉलिसियों पर बोनस ऐसी दर पर होगा जिसका अनुपात उस दर से जुड़ा हो जो दूसरी तरह की पॉलिसियों पर है और जो 19-1-1956 से पहले बीमा कंपनी द्वारा वितरण पर निकाला गया हो।
- (2) जो पॉलिसियाँ 19-1-1956 से पहले किसी बीमा कंपनी को हस्तांतरित हो चुकी हैं उनपर बोनस उसी अनुपात में होगा जो हस्तांतरित बीमा कंपनी की पॉलिसियों पर बोनस के लिए लागू हो जैसा कि 19-1-1956 से पहले उस बीमा कंपनी ने बोनस वितरण के लिए निकाला हो।